संख्या- 2023/ 001-428422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **15** फरवरी**, 2023**

विषय:- के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1304/2022-23, दिनांक 07.02.2023, शासनादेश संख्या-707/बयालिस-2021-14(बजट)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-162/बयालिस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0डी0 सिंह ''बाबू'' स्टेडियम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंकलित करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 1022.47 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मद संख्या-12-के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ-1202-ऑलवेदर तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 392.12 लाख में से रू0 100.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000(रुपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,00,00,000 (रूपया दो करोड़ मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश दिनांक 04.11.2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्त्रगत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों तथा वर्ष 2020 से प्रभावी अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 2018 (दर वृद्धि को सम्मिलित करते हुए) पर तथा जो दरें इन दरों में उपलब्ध नहीं है उन दरों को बाजार/कोटेशन दरों पर प्रावधान किया गया है।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव में पुराने निर्माण को तोड़कर जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अत: ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तनर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है निदेशक,खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रभाग द्वारा प्रायोजना का आकंलन प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(8) प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यो को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231-2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231-2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी निदेशक, खेल द्वारा किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(16) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तरणताल के मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य सर्वप्रथम किया जायेगा तत्पश्चात ही कवर्ड कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) शासनादेश संख्याा-707/बयालिस-2021-14(बजट)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-162/बयालिस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022 में उल्लिखित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।
(19) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(20) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(21) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था का होगा।
(22) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानक एवं उच्च कोटि की हो, इस हेतु निदेशक, खेल कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ताा समिति से जॉच करा लें।
(23) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038001202 ऑलवेदर तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-428422023, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।